रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06022021-224999
CG-DL-E-06022021-224999

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 514] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 5, 2021/माघ 16, 1942
No. 514] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 5, 2021/MAGHA 16, 1942

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2021

**का.आ. 566(अ).**—मंत्रालय की प्रारुप अधिसूचना का.आ. 1441 (अ.), दिनांक 19 अप्रैल, 2016, के अधिक्रमण में, अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारुप जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को लिखित रूप में या ई-मेल esz-mef@nic.in पर भेज सकता है।

## प्रारूप अधिसूचना

कैस वन्यजीव अभयारण्य 12.61 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और हिमाचल प्रदेश राज्य में कुल्लू जिला में शिमला से 270 किलोमीटर दूरी और कुल्लू से 20 किलोमीटर दूरी में स्थित है;

**और,** कैस वन्यजीव अभयारण्य को अधिसूचना सं. एफएफई-बी-एफ(6)-11/2005–II/ कैस द्वारा दिनांक 7 जून, 2013 से वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। वन्यजीव अभयारण्य में स्थानिक वनस्पति और जीवजंतु की काफी विविधता है और यह पारिस्थितिकी, जीवजंतु, वनस्पति, भू-आकृति और मनोरंजनात्मक और अनुसंधान/शिक्षण संदर्भ से भी काफी महत्त्वपूर्ण है;

**और,** कैस वन्यजीव अभयारण्य में उप-उष्णकटिबंधीय चीड़ पाइन वन, आर्द्र देवदार वन, पश्चिमी मिश्रित शंकुधारी वन, आर्द्र शीतोष्ण पर्णपाती वन, खरसू ओक वन, पश्चिमी हिमालयन उप-अल्पाइन फर वन है। कैस वन्यजीव अभयारण्य में और उसके आसपास मुख्य वनस्पति प्रजापतियों में देवदार (*कद्रूस देवदार*), ब्लू पाइन (*पिनुस वाल्लिचिअना*), चिर पाइन (*पिनस रोक्सबुरघी*), मोहरू (*क्यूरकस डीअलाटा),* खरसु (*क्वेरकुस सेमेकार्पिफोलिया*), परूनुस (*परूनस कोरनाटा*), खनोर (*एस्कुलुस इंडिका*), बौक्सवूड (*बुक्स वाल्लिचिअना*), वालनट (*जुगलांस रेगिया*), बुरांश (*रोडोडेंड्रोन अरबोरेतुम*), मोहरान (*उलमुस वाल्लीचिअना*), रहुस (*रहुस वाल्लिचिअना*), खाइराक *(केल्टिस ऑस्ट्रलिस),* भोजपतरा (*बेतुला उटीलिस*), कोश (*अल्नुस निटिडा),* मैपिल (*एकेर पिकतम)* पाए जाते हैं;

**और,** अभयारण्य में मुख्य जीवजंतु प्रजातियों में संकटापन्न प्रजातियां जैसे तेंदुआ (*पेन्थेरा प्रज्घूस*), लेपर्ड बिल्ली (*फेलिस बेंगालेंसिस*), जंगली बिल्ली (*फेलिस चाउस*), हिमालयन सिवेट (*पागोमा लारवाटा*), हिमालयन यल्लो थ्रोटेड मार्टिन (*मार्टेस फ्लैविगुला*), काला भालू (*सेलेनारकटोस थिबेटनुस*), साही (*हिस्ट्रीक्स इंडिका*), फ्लाइंग गिलहरी (*पेटाउरिस्टा पेटाउरिस्टा*), बंदर (*मकाका मुलाट्टा*), लंगूर (*प्रेस्बयटीस इंटेल्लुस*), गोरल (*नैमोरेदुस गोरल*), मुंजक (*मुंटजेक्स मुन्तजक*), सियार (*कैनिस ऑरियस*), आदि पाए जाते हैं;

**और,** कैस वन्यजीव अभयारण्य हिमालय क्षेत्र में प्रतिबंधित स्थानिक और अतिसंवेदनशील हिमालयन मोनल फीजेन्ट (*लोकोफोरस इम्पेजनक*) के लिए महत्त्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है। क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण पक्षी प्रजातियों में हिमालयन कठफोड़वा (*डेंड्रोकोपोस हिमालायेंसिस*), कोकलास फेजेण्ट (*पुकरासिया माक्रोलोफा*), कलिज फेजेण्ट (*लोफुरा लेयकोमेलानोस*), ग्रे फेजेण्ट (*पेरडिक्स पेरडिक्स*), स्ट्रीक्ड लार्फिंग थ्रश (*ट्रोचलोपटरों लिनतुम*), चितकबरा लार्फिंग थ्रश (*ट्रोचलोपटरों वारिइगातुम*), ग्रे बुशचाट *(सक्सिकोला फेर्रेउस*), ब्लू व्हिस्टलिंग थ्रश (*मायोफोनुस कैइरूलेउस*), आदि पाई जाती है;

**और,** कैस वन्यजीव अभयारण्य और इसका पारिस्थितिकी संवेदी जोन औषधीय पौधों की संख्या को आश्रय प्रदान करता है जिसमें पतिश (*अकोंटिनम स्पा*), शिंगली मिंगली (*डीओस्कोरेया डेलटोआइडिया*), सलाम-पंजा (*ओरचिस लैटिफोलिया*), *पडोफयल्लुम* प्रजातियां, गुच्ची (*मोरचेल्ला इस्कुलांटा*), *जुरिनेया माकरोपोडा* (धूप), बानाकशा (विओला स्पा) शामिल हैं;

**और,** कैस वन्यजीव अभयारण्य और इसका पारिस्थितिकी संवेदी जोन कई दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए बफर जोन का कार्य करता है। यह क्षेत्र ब्यास नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र का कार्य करता है और खड़ी ढलान को मृदा कटाव का खतरा है;

**और,** कैस वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय और जैव-विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

**अतः,** अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में पर्यावरण अधिनियम के रूप में उल्लिखित किया गया है) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) एवं उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू जिला के कैस वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 50 मीटर से 2.21 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को कैस वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

**1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा**-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार कैस वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 50 मीटर से 2.21 किलोमीटर तक 24.651 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ विस्तृत होगा। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार राजस्व ग्रामों की निकटता के कारण पश्चिमी भाग पर 50 मीटर है।

(2) कैस वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **अनुलग्नक-I** के रूप में संलग्न है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन को सीमांकित करते हुए कैस वन्यजीव अभयारण्य के मानचित्र **अनुलग्नक-II क** और **अनुलग्नक-II ख** के रूप में संलग्न है।

(4) कैस वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **अनुलग्नक-III** की सारणी **क** और सारणी **ख** में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **अनुलग्नक-IV** के रूप में संलग्न है।

**2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना**.– (1) राज्य सरकार, द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनाई जायेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:-

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज;

(xi) हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड; और

(xii) लोक निर्माण विभाग।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का सहायक मानचित्र के साथ निर्धारण किया जाएगा और प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा भी दिया जाएंगा।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी में यथासूचीबद्ध पैराग्राफ 4 में प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी ।

(9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, और स्थानीय सुविधाएं तथा ग्रह वास; और

(v) पैराग्राफ-4 में उल्लिखित बढ़ावा दिए गए क्रियाकलापः

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में वनीकरण तथा पर्यावासों की बहाली के कार्यकलापों से पुन: वनीकरण किए जाने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत.**- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जलमार्गों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा दिशा-निर्देश इस रीति से बनाएं जाऐंगे कि उसमें आवाह क्षेत्रों में विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध और निर्बंधित किया गया हो।

(3) **पर्यटन एवं पारिस्थितिकी पर्यटन.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात होगा।

(ख) पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी;

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगाः

परंतु यह, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुज्ञात होगी;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/ रिजॉर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।

(4) **प्राकृतिक विरासत.–** पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.**- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण किया जाएगा ।

(7) **वायु प्रदूषण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सरण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सरण, पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सरण के लिए साधारण मानकों के प्रावधानों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.**- ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रंबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात.-** सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण.-** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा और स्वच्छतर ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (क) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

**4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53), सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

**सारणी**

| क्रम सं. | क्रियाकलाप | टिप्पणी |
|---|---|---|
| | **क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप** | |
| 1. | वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां। | (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी;<br>(ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 4 अगस्त, 2006 के आदेश और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में होगा। |
| 2. | प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना। | पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगी:<br>परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा। |
| 3. | बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना। | प्रतिषिद्ध। |
| 4. | किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण। | प्रतिषिद्ध। |
| 5. | प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सरण। | प्रतिषिद्ध। |
| 6. | नई आरा मिलों की स्थापना। | पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों के विस्तार के लिए अनुमति नहीं होगी। |
| 7. | ईंट भट्टों की स्थापना करना। | प्रतिषिद्ध। |
| 8. | पोलिथीन बैगों का उपयोग। | प्रतिषिद्ध। |
| 9. | जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग। | प्रतिषिद्ध। |
| 10. | मछली पकड़ना और शिकार करना। | प्रतिषिद्ध। |
| | **ख.विनियमित क्रियाकलाप** | |
| 11. | होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना। | पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना की अनुमति नहीं होगी: |

| | | |
|---|---|---|
| | | परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार करने की अनुज्ञा होगी । |
| 12. | संनिर्माण क्रियाकलाप । | (क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुमत नहीं किया जाएगा:<br>परंतु स्थानीय लोगों को पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण करने की अनुमत भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी।<br>परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे ।<br>(ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे । |
| 13. | गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग। | फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी, समय-समय पर यथा संशोधित उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागवानी या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे। |
| 14. | वृक्षों की कटाई । | (क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी ।<br>(ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी । |
| 15. | वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण । | लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । |
| 16. | विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था । | लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा। |
| 17. | नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा। | लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ न्यूनीकरण उपाय करना। |
| 18. | विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण। | लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ न्यूनीकरण उपाय करना। |
| 19. | पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, | लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । |

| | | |
|---|---|---|
| | हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि। | |
| 20. | सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण । | लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । |
| 21. | पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण । | लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । |
| 22. | रात्रि में वाहन यातायात का संचलन । | लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा । |
| 23. | स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन। | स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुमत होंगे। |
| 24. | प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सरण । | जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव के निस्सरण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव का निस्सरण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा। |
| 25. | विदेशी प्रजातियों को लाना। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । |
| 26. | फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना । | स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । |
| 27. | खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि कृषि और अन्य उपयोग के लिए । | विनियमित और सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से निगरानी की जाएगी। |
| 28. | ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । |
| 29. | पारिस्थितिकी पर्यटन। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । |
| 30. | वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग । | लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । |
| | **ग.संवर्धित क्रियाकलाप** | |
| 31. | वर्षा जल संचय । | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा । |
| 32. | जैविक खेती। | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा । |
| 33. | सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण । | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा । |
| 34. | ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग। | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा । |
| 35. | नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग । | बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा। |
| 36. | कृषि वानिकी । | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा । |
| 37. | बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण । | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा । |

| | | |
|---|---|---|
| 38. | पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का प्रयोग । | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा । |
| 39. | कौशल विकास । | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा । |
| 40. | अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली । | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा । |
| 41. | पर्यावरण के प्रति जागरुकता। | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा । |

**5. पारिस्थितिकी-संवेदी जोन अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति.-** इस अधिसूचना उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक निगरानी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

| **क्र.स.** | **निगरानी समिति का गठन** | **पद** |
|---|---|---|
| (i) | वन संरक्षक, कुल्लू | अध्यक्ष; |
| (ii) | राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का प्रतिनिधि | सदस्य; |
| (iii) | राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यकारी अभियंता | सदस्य; |
| (iv) | क्षेत्र के वरिष्ठ नगर नियोजक | सदस्य; |
| (v) | राज्य जैव विविधता बोर्ड का प्रतिनिधि | सदस्य; |
| (vi) | पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा | सदस्य; |
| (vii) | संभागीय वन अधिकारी (वन्यजीव), कुल्लू | सदस्य; |
| (viii) | संभागीय वन अधिकारी, पार्बती | सदस्य; |
| (ix) | संभागीय वन अधिकारी, कुल्लू | सदस्य सचिव; |

**6. निर्देश–निबंधन:-** (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल अगले आदेश होने तक होगा, परंतु यह कि समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति लेने के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले मे आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, अनुलग्नक V में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।

**7. अतिरिक्त उपाय.-** इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी ।

**8. उच्चतम न्यायालय, आदि के आदेश.-** इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/190/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

**अनुलग्नक- I**

**कैस वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण**

**उत्तर**: - भू-निर्देशांक क्रमश: उत्तर भाग पर 32$^0$ 03'43.819" उ; 77010'42.936" पू और उत्तर से पूर्वी भाग पर 32$^0$ 03'41.813" उ; 77$^0$13'41.54" पू के साथ विद्यमान कैस वन्यजीव अभयारण्य के निकटवर्ती डीपीएफ 2/27 पदरा रीस (सी-I से V) और 2/26 मरहौन डीपीएफ की बाहरी सीमा के साथ लगभग 3000 मीटर चौड़ी पट्टी

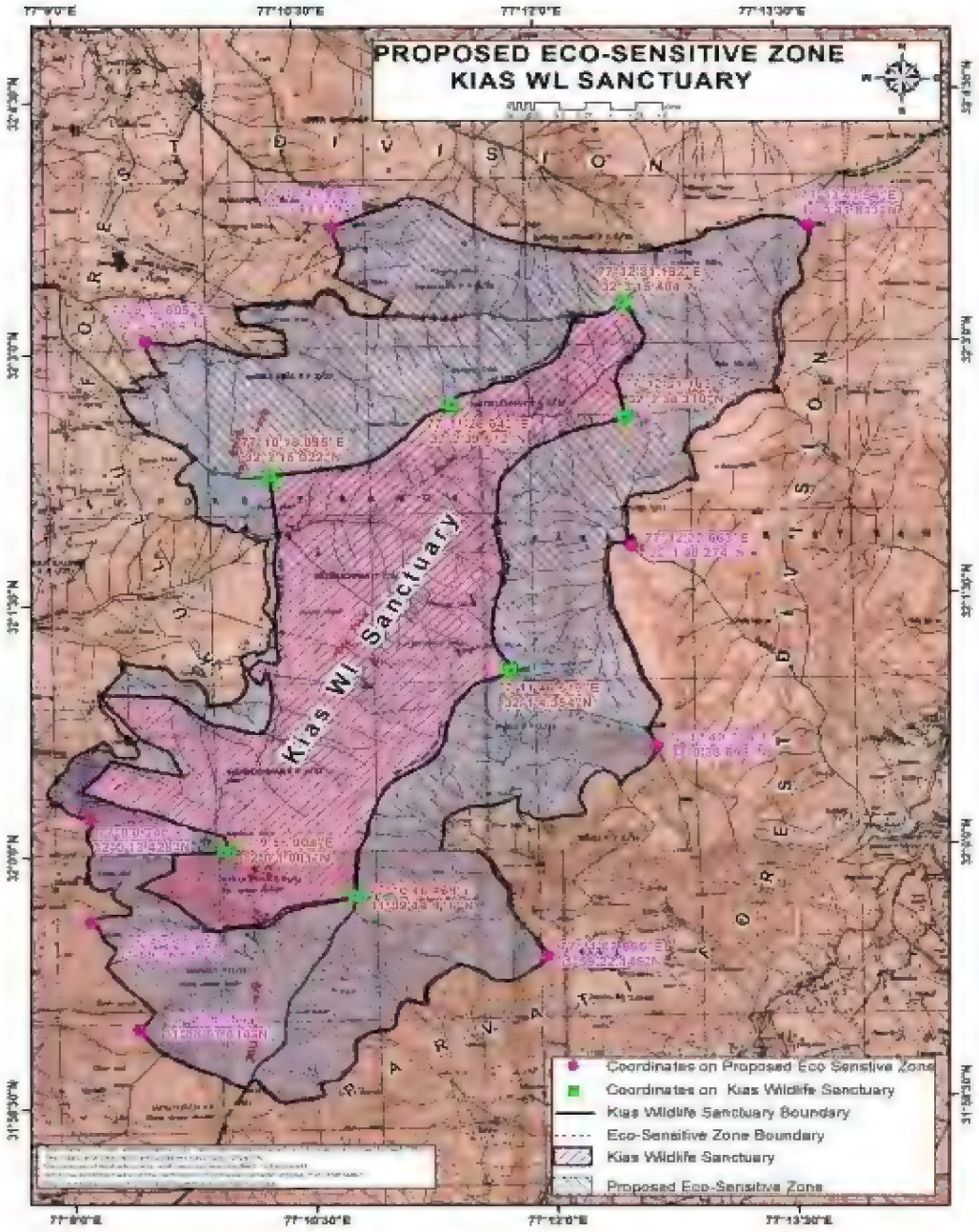
**दक्षिण**: - भू-निर्देशांक क्रमश: दक्षिण पूर्व भाग पर 31$^0$ 59'22.145" उ; 77$^0$11'57.665" पू और दक्षिण पश्चिम भाग पर 31$^0$58'57.614" उ; 77$^0$09'26.364" पू के साथ कैस वन्यजीव अभयारण्य की विद्यमान सीमाओं के साथ 2/33 महौत डीपीएफ की सी -1 से सी-1V बी विभाग की बाहरी सीमा के साथ लगभग 3500 चौड़ी पट्टी

**पूर्व**: - भू-निर्देशांक क्रमश: 32$^0$ 01'48.274" उ; 77$^0$12'32.663" पू और 32$^0$ 00'35.698" उ; 77$^0$12'40.736" पू के साथ विद्यमान कैस वन्यजीव अभयारण्य की विद्यमान सीमा के साथ 2/14 पीनसु डीपीएफ के भाग के साथ लगभग 4000 मीटर चौड़ी पट्टी

**पश्चिम**: - भू-निर्देशांक क्रमश: पश्चिमी भाग पर 32$^0$00'13.428" उ; 77$^0$09'08.245" पू और उत्तर पश्चिमी भाग पर 32$^0$3'04.004" उ; 77$^0$09'32.805" पू के साथ विद्यमान कैस वन्यजीव अभयारण्य के निकटवर्ती के-III (III वन वर्ग) के भाग के साथ लगभग 150 मीटर चौड़ी पट्टी

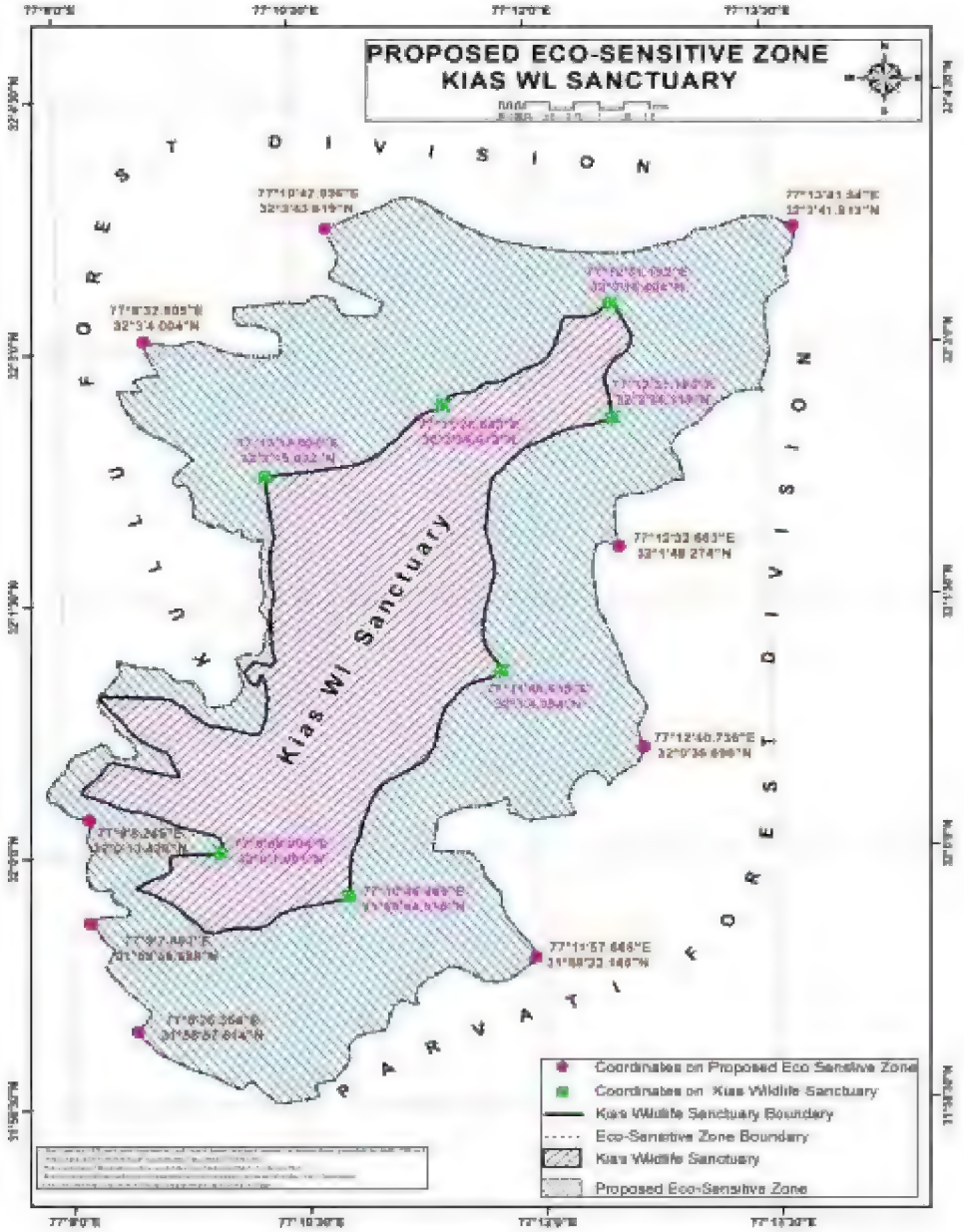
**अनुलग्नक IIक**

**मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ कैस वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र**



**अनुलग्नक II ख**

**मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ कैस वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र**



**अनुलग्नक -III**

**सारणी क: कैस वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के साथ चारों कोनों के भू-निर्देशांक**

| क्र.सं. | दिशा | देशांतर | अक्षांश |
|---|---|---|---|
| 1. | उत्तर | 77°12'31.192"पू | 32°3'15.404"उ |
| | | 77°12'31.183"पू | 32°2'34.319"उ |
| 2. | पूर्व | 77°11'46.615"पू | 32°1'4.354"उ |
| 3. | दक्षिण | 77°10'46.469"पू | 31°59'44.916"उ |
| | | 77°9'59.004"पू | 32°0'1.081"उ |
| 4. | पश्चिम | 77°10'18.095"पू | 32°2'15.022"उ |
| | | 77°11'26.643"पू | 32°2'39.512"उ |

**सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक**

| क्र.सं. | निर्देशांक | देशांतर | अक्षांश | विवरण (भू-चिन्ह) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | उत्तर | 77°10'42.936" पू<br>77°13'41.54"पू | 32°03'43.819" उ<br>32° 03'41.813" उ | डीपीएस 2/27 पडरा रीस (सी-I से V) 2/26 मरहौन डीपीएफ |
| 2 | दक्षिण | 77°11'57.665" पू<br>77°09'26.364" पू | 31° 59'22.145"उ<br>31°58'57.614"उ | सी-1 से सी-1V बी 2/33 महौत डीपीएफ |
| 3 | पूर्व | 77°12'32.663" पू<br>77°12'40.736" पू | 32°01'48.274"उ<br>32°00'35.698"उ | 2/14 पीनसु डीपीएफ |
| 4 | पश्चिम | 77°09'08.245" पू<br>77°09'32.805" पू | 32°00'13.428"उ<br>32°03'04.004"उ | के-III वन |

**अनुलग्नक –IV**

**भू-निर्देशांकों के साथ कैस वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची**

| क्र.सं. | ग्राम के नाम | देशांतर | अक्षांश |
|---|---|---|---|
| 1 | तांदला | 077$^0$09'49.52"पू | 32$^0$01'05.31"उ |
| 2 | गौउत | 077$^0$09'22.95"पू | 32$^0$00'39.46"उ |
| 3 | धारा | 077$^0$09'11.904"पू | 32$^0$00'54.019"उ |

**अनुलग्नक-V**

**की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का प्ररूप:**

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत: (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुलग्नक में संलग्न करें) ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति।
4. भू-अभिलेख में दृश्यमान त्रुटियों के सुधार किए गए मामलों का सारांश (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार) । ब्यौरे अनुलग्नक के रूप में संलग्न किए जाएं।
5. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा किए गए मामलों का सारांश। (ब्यौरे एक पृथक् अनुलग्नक के रूप में संलग्न किए जाएं)।
6. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा किए गए मामलों का सारांश । (ब्यौरे एक पृथक् अनुलग्नक के रूप में संलग्न किए जाएं)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

## NOTIFICATION

New Delhi, the 5th February, 2021

**S.O. 566(E).**—In supersession of Ministry's draft notification S.O. 1441 (E), dated 19th April, 2016, the following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in.

## DRAFT NOTIFICATION

**WHEREAS,** the Kais Wildlife Sanctuary is spread over an area of 12.61 square kilometres and is situated at a distance of 270 kilometres from Shimla and 20 kilometres from Kullu in District Kullu in the State of Himachal Pradesh;

**AND WHEREAS,** the Kais Wildlife Sanctuary was given the status of Wildlife Sanctuary with effect from the 7th June, 2013 vide notification no. FFE-B-F(6)- 11/2005-II/Kais. The Wildlife Sanctuary provides home to a variety of endemic flora and fauna and also has several important values from ecological, faunal, floral, geomorphologic and recreational and research/educational perspective;

**AND WHEREAS,** the Kais Wildlife Sanctuary consists of sub-tropical chir pine forest, moist deodar forests, western mixed coniferous forests, moist temperate deciduous forest, Kharshu oak forest, western Himalayan sub-alpine fir forest. The major floral species found in and around Kais Wildlife Sanctuary are deodar (*Cedrus deodara*), blue pine (*Pinus wallichiana*), Chir pine (*Pinus roxburghii*), mohru (*Quercus dialata),* Kharsu (*Quercus semecarpifolia*), prunus (*Prunus cornata*), khanor (*Aesculus indica*), boxwood (*Buxus wallichiana*), Walnut (*Juglans regia*), buransh (*Rhododendron arboretum*), mohran (*Ulmus wallichiana*), rhus (*Rhus wallichiana*) Khairak (*Celtis australis*), bhojpatra (*Betula utilis*), Kosh (*Alnus nitida*), maple (*Acerpictum*);

**AND WHEREAS,** the major faunal species found in the sanctuary are threatened species like leopard (*Panthera pardus)*, leopard cat (*Felis bengalensis)*, jungle cat (*Felis chaus)* Himalayan civet (*Pagoma larvata)*, Himalayan yellow throated marten (*Martes flavigula)*, black bear (*Selenarctus thibetanus)*, porcupine (*Hystrix indica)*, flying squirrel (*Petaurista petaurista)*, monkey (*Macaca mullata)*, langoor (*Presbytis entellus)*, goral (*Nemorhaeadus goral)*, barking deer (*Muntjacus muntjack)*, jackal (*Canis aureus*), etc;

**AND WHEREAS**, the Kais Wildlife Sanctuary has been recognised as an Important Bird Area for Himalayan monal pheasent *(Lophophorus impejanus*), endemic and vulnerable species restricted to Himalayan region. The important avi- fauna species present in the area are Himalayan woodpecker *(Dendrocopos himalayensis),* Koklash pheasant (*Pucrasia macrolopha*), Kalij pheasant (*Lophura leucomelanos),* grey partridge (*Perdix perdix*), streaked laughing thrush (*Trochalopteron lineatum*), variegated laughing thrush (*Trochalopteron variegatum*), grey bushchat (*Saxicola ferreus*),blue whistling thrush (*Myophonus* caeruleus), etc;

**AND WHEREAS,** the Kais Wildlife Sanctuary and its Eco-Sensitive Zone supports a number of medicinal plants including patish (Acontinum spp.), shingli mingli (Dioscorea deltoidea), salam-panja (*Orchis latifolia*), *Padophyllum* species, guchhi (Morchella esculanta), *Jurinea macropoda* (Dhoop), banaksha (Viola spp.);

**AND WHEREAS,** the Kais Wildlife Sanctuary and its Eco-Sensitive Zone act as a buffer zone for many rare and endangered species. The area also acts as an upper catchment to Beas River and the steep slopes are prone to soil erosion;

**AND WHEREAS,** it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Kais Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-Sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-Sensitive Zone;

**NOW, THEREFORE,** in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 50 meters to 2.21 kilometres around the boundary of Kais Wildlife Sanctuary, in Kullu District in the State of Himachal Pradesh as the Kais Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:

**1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.** – (1) The Eco-Sensitive Zone shall be of 24.651 square kilometres with an extent 50 meters to 2.21 kilometres around the boundary of Kais Wildlife Sanctuary. The extent of the Eco-sensitive zone is 50 meters on Western side due to proximity of revenue villages alongside.

(2) The boundary description of Kais Wildlife Sanctuary and its Eco-Sensitive Zone is appended in **Annexure-I.**

(3) The maps of the Kais Wildlife Sanctuary demarcating Eco-Sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA** and **Annexure-IIB.**

(4) Lists of geo co-ordinates of the boundary of Kais Wildlife Sanctuary and Eco- sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure-III.**

(5) The list of villages falling in the Eco-Sensitive Zone along with their geo co- ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV.**

**2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.**-(1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority in the State.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;

(ii) Forest andWildlife;

(iii) Agriculture;

(iv) Revenue;

(v) Urban Development;

(vi) Tourism;

(vii) RuralDevelopment;

(viii) Irrigation and Flood Control;

(ix) Municipal;

(x) Panchayati Raj;

(xi) Himachal Pradesh State Pollution Control Board; and

(xii) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of theecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land usefeatures.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by the State Government**.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.**– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) **Natural water bodies.**-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism or eco-tourism.**- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with the State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-Sensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever isnearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco- education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

**(4) Natural heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

**(5) Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

**(6) Noise pollution.** - Prevention and control of noise pollution in the Eco- sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

**(7) Air pollution.**- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made there under.

**(8) Discharge of effluents.**- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made there under or standards stipulated by the State Government, whichever is more stringent.

**(9) Solid wastes.**- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

**(10) Bio-Medical Waste.**– Bio-Medical Waste Management shall be as under:-

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

**(11) Plastic waste management**.- The plastic waste management in the Eco- sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

**(12) Construction and demolition waste management.** - The construction and demolition waste management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

**(13) E-waste.**- The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

**(14) Vehicular traffic.**– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

**(15) Vehicular pollution.**- Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

**(16) Industrial units.**– (a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(b) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

**(17) Protection of hill slopes.**- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

**4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.**- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

**TABLE**

| S. No. | Activity | Description |
|---|---|---|
| | **A. Prohibited Activities** | |
| 1. | Commercial mining, stone quarrying and crushing units. | (a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within Eco-Sensitive Zone;<br>(b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble |
| | | Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012. |
| 2. | Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.). | New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-Sensitive Zone shall not be permitted:<br>Provided that, non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted. |
| 3. | Establishment of major hydroelectric project. | Prohibited |
| 4. | Use or production or processing of any hazardous substance. | Prohibited |
| 5. | Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area. | Prohibited |
| 6. | Setting up of new saw mills. | New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone. |
| 7. | Setting up of brick kilns. | Prohibited |
| 8. | Use of polythene bags. | Prohibited |
| 9. | Commercial use of firewood. | Prohibited |
| 10. | Fishing and Hunting. | Prohibited |
| | **B. Regulated Activities** | |
| 11. | Commercial establishment of hotels and resorts. | No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco- sensitive zone, whichever is nearer, except forsmall temporary structures for Eco-tourism activities: |

| | | |
|---|---|---|
| | | Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable. |
| 12. | Construction activities. | (a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-Sensitive Zone whichever is nearer:<br>Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub- paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents:<br>Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.<br>(b) Beyond one kilometre it shall be regulatedas per the Zonal Master Plan. |
| 13. | Small scale non-polluting industries. | Non-polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the Competent Authority. |
| 14. | Felling of trees. | (a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government.<br>(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under. |
| 15. | Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce. | Regulated under applicable laws. |
| 16. | Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures. | Regulated under applicable laws of underground cabling may be promoted. |
| 17. | Infrastructure including civic amenities. | Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines. |
| 18. | Widening and Strengthening of existing roads and construction of new roads. | Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines. |
| 19. | Undertaking other activities related to tourism like over | Regulated as per the applicable laws. |

| | | |
|---|---|---|
| | flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc. | |
| 20. | Commercial extraction of surface and ground water. | Regulated under applicable laws. |
| 21. | Protection of Hill Slopes and river banks. | Regulated as per the applicable laws. |
| 22. | Movement of vehicular traffic at night. | Regulated for commercial purpose under applicable laws. |
| 23. | Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries. | Permitted as per the applicable laws for use of locals. |
| 24. | Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area. | The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per the applicable laws. |
| 25. | Introduction of exotic species. | Regulated under applicable laws. |
| 26. | Establishment of large-scale commercial lives tock and poultry farms by firms, Corporate and companies. | Regulated as per applicable laws except for meeting local needs. |
| 27. | Open Well, Bore Well, etc. for agricultureor other usage. | Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority. |
| 28. | Solid Waste Management. | Regulated as per the applicable laws. |
| 29. | Eco-tourism. | Regulated as per the applicable laws. |
| 30. | Commercial Sign boards and hoardings. | Regulated as per the applicable laws. |
| | **C. Promoted Activities** | |
| 31. | Rain water harvesting. | Shall be actively promoted. |
| 32. | Organic farming. | Shall be actively promoted. |
| 33. | Adoption of green technology for all activities. | Shall be actively promoted. |
| 34. | Cottage industries including village artisans, etc. | Shall be actively promoted. |
| 35. | Use of renewable energy and fuels. | Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted. |
| 36. | Agro-Forestry. | Shall be actively promoted. |

| | | |
|---|---|---|
| 37. | Plantation of Horticulture and Herbals. | Shall be actively promoted. |
| 38. | Use of eco-friendly transport. | Shall be actively promoted. |
| 39. | Skill Development. | Shall be actively promoted. |
| 40. | Restoration of Degraded Land/ Forests/Habitat. | Shall be actively promoted. |
| 41. | Environmental Awareness. | Shall be actively promoted. |

**5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.-** For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

| S. No. | Constituent of the Monitoring Committee | Designation |
|---|---|---|
| (i) | Conservator of Forests, Kullu | Chairman; |
| (ii) | A representative of Non-governmental Organisation working in the field of environment to be nominated by the State Government | Member; |
| (iii) | Regional Executive Engineer of State Pollution Control Board | Member; |
| (iv) | Senior Town Planner of the area | Member; |
| (v) | A representative of State Biodiversity Board | Member; |
| (vi) | An expert in the area of Ecology and Environment to be nominated by the State Government | Member; |
| (vii) | Divisional Forest Officer (Wildlife), Kullu | Member; |
| (viii) | Divisional Forest Officer, Parbati | Member; |
| (ix) | Divisional Forest Officer, Kullu | Member Secretary; |

**6. Terms of reference.** – (1) The Monitoring Committee shall monitor the complianceof the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be till further orders, provided that the non-official members of the Committee shall be nominated by the State Government from time to time.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forestand Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-Sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person

who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure V.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of it sfunctions.

**7. Additional Measures.-** The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

**8. Supreme Court, etc. orders.-** The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/190/2015-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist'G'

**ANNEXURE- I**

**BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KAIS WILDLIFE SANCTUARY**

**North**: - 3000 m wide approx strip along outer boundary of DPF 2/27 Padra Reas (C-I to V) and 2/26 Marhaun DPF adjacent to the existing Kais Wildlife Sanctuary with Geo- coordinates: $32^0$ 03'43.819" N; 77010'42.936" E on north side and $32^0$03'41.813" N; $77^0$13'41.54" E on eastern side of north, respectively.

**South**: - About 3500 m wide strip along outer boundary of C-1 to C-1V b compartments of 2/33 Mahout DPF along with the existing boundaries of Kais Wildlife Sanctuary with Geo coordinates $31^0$ 59'22.145" N; $77^0$11'57.665" E on south east side and $31^{058}$'57.614"N; $77^0$09'26.364" E on south west side respectively.

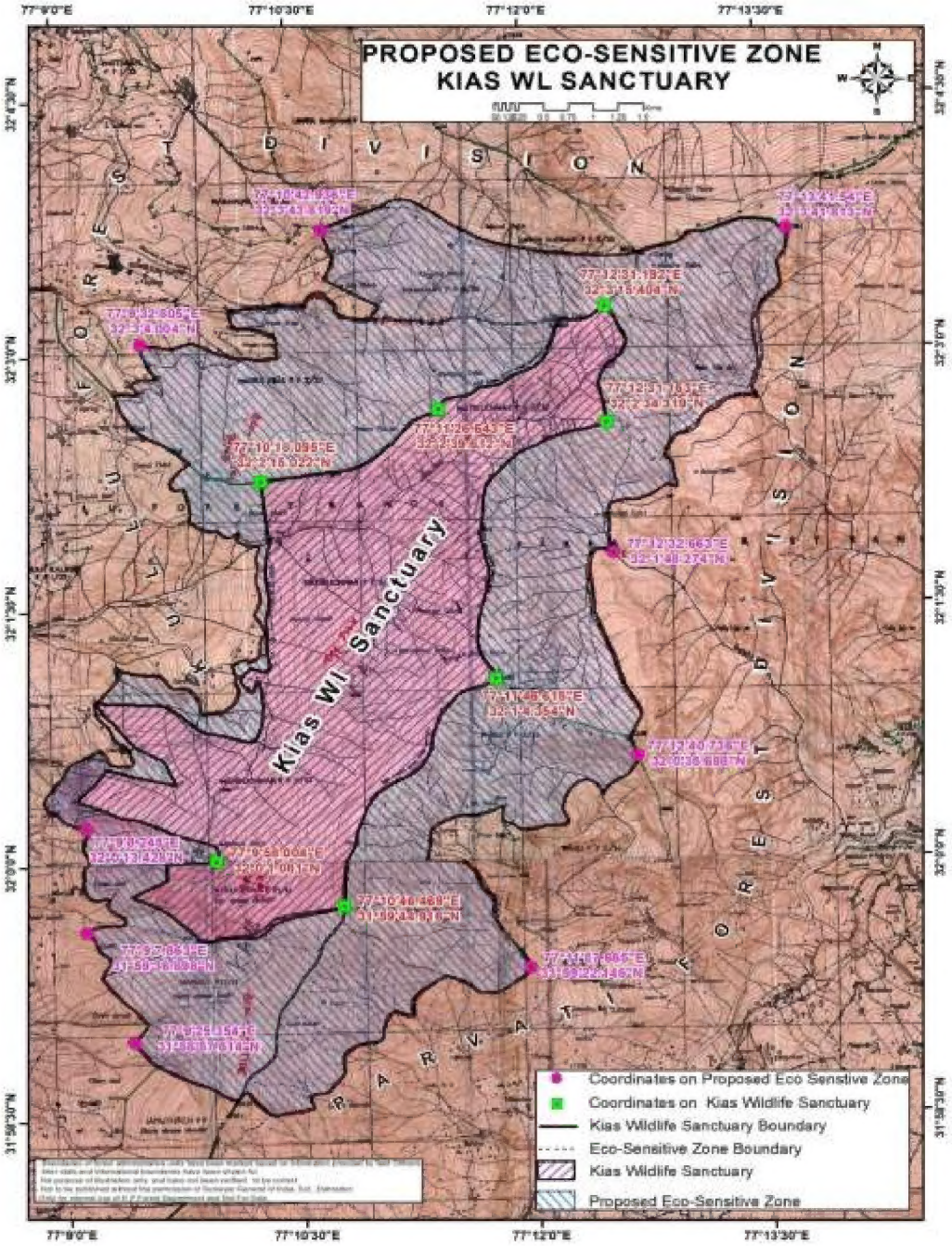
**East**: - About 4000 m wide strip along part of 2/14 Pinsu DPF along existing boundary of the existing Kais Wildlife Sanctuary with Geo-coordinates $32^0$ 01'48.274"N; $77^0$12'32.663"E and $32^0$ 00'35.698"N ; $77^0$12'40.736" E respectively.

**West**: - 150 m wide approx strip along part of K-III (III class forests) adjacent to the existing Kais Wildlife Sanctuary with Geo-coordinates $32^0$

00'13.428"N; $77^0$09'08.245" Eonwesternsideand $32^0$3'04.004"N;$77^0$09'32.805"Eon north western side respectively.

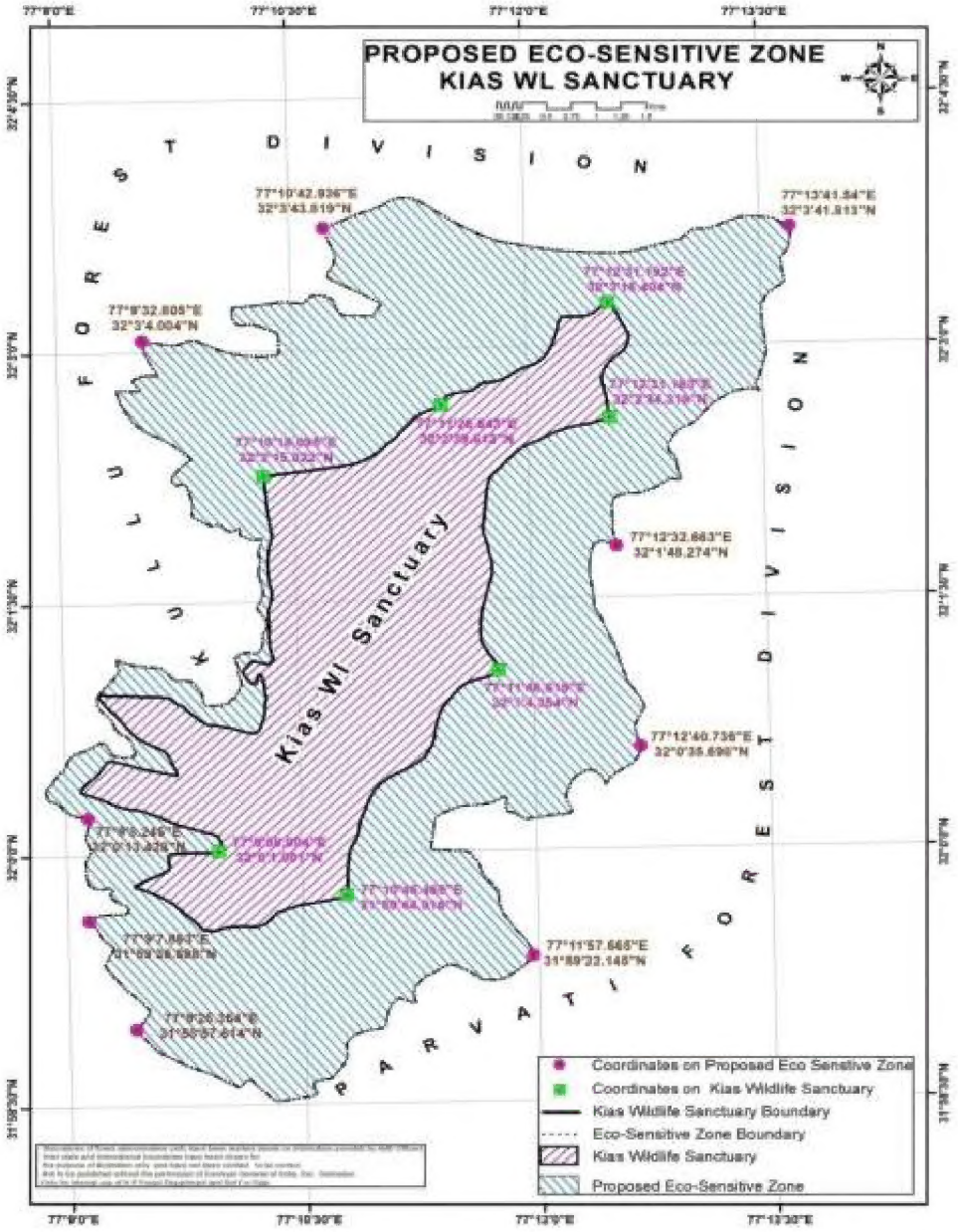
**ANNEXURE- IIA**

**MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KAIS WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS**



**ANNEXURE- IIB**

**MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KAIS WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS**



**ANNEXURE-III**

**TABLE A: GEO- COORDINATES OF FOUR CORNERS ALONG BOUNDARY OF KAIS WILDLIFE SANCTUARY**

| S.No | Directions | Longitude | Latitude |
|---|---|---|---|
| 1. | North | 77°12'31.192"E | 32°3'15.404"N |
| | | 77°12'31.183"E | 32°2'34.319"N |
| 2. | East | 77°11'46.615"E | 32°1'4.354"N |
| 3. | South | 77°10'46.469"E | 31°59'44.916"N |
| | | 77°9'59.004"E | 32°0'1.081"N |
| 4. | West | 77°10'18.095"E | 32°2'15.022"N |
| | | 77°11'26.643"E | 32°2'39.512"N |

**TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO- SENSITIVE ZONE**

| S. No. | Co-ordinates | Longitude | Latitude | Description (Land Mark) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | North | $77^0$10'42.936" E<br>$77^0$13'41.54"E | $32^0$03'43.819"N<br>$32^0$ 03'41.813" N | DPF 2/27 Padra Reas (C-I to V) 2/26 Marhaun<br>D PF |
| 2 | South | $77^0$11'57.665"<br>E<br>$77^0$09'26.364"<br>E | $31^0$ 59'22.145<br>"N<br>$31^0$<br>58'57.614"N | C-1 to C-1V b 2/33<br>Mahout DPF |
| 3 | East | $77^0$12'32.663"<br>E<br>$77^0$12'40.736"<br>E | $32^0$<br>01'48.274"N<br>$32^0$<br>00'35.698"N | 2/14 Pinsu DPF |
| 4 | West | $77^0$09'08.245"<br>E<br>$77^0$09'32.805"<br>E | $32^0$<br>00'13.428"N<br>$32^0$<br>03'04.004"N | K-IIIforests |

**ANNEXURE-IV**

**LIST OF VILLAGES FALLING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF KAIS ALONG WITH GEO-COORDINATES**

| Sr. No. | Name of Village | Longitude | Latitude |
|---|---|---|---|
| 1 | Tandla | $077^0$09'49.52"E | $32^0$01'05.31"N |
| 2 | Ghout | $077^0$09'22.95"E | $32^0$00'39.46"N |
| 3 | Dhara | $077^0$09'11.904"E | $32^0$00'54.019"N |

**ANNEXURE –V**

**Performa of Action Taken Report: -**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act,1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2021.02.26 14:18:44 +05'30'